संख्या-12/2023/429/39-4-2023-001-5-5-2022

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधानित धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-03-सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष रू0-3,84,73,000/- (रूपये तीन करोड़ चौरासी हजार तिहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशें का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों के कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के नियम/शर्तों एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2070001040300 (सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 01 वेतन | 2,30,10,000 ( रुपये दो करोड़ तीस लाख दस हजार मात्र ) |
| *2* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 03 मंहगाई भत्ता | 1,03,55,000 ( रुपये एक करोड़ तीन लाख पचपन हजार मात्र ) |
| *3* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 04 यात्रा व्यय | 50,000 ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| *4* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *5* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 06 अन्य भत्ते | 1,50,000 ( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| *6* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 07 मानदेय | 10,000 ( रुपये दस हजार मात्र ) |
| *7* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 08 कार्यालय व्यय | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *8* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 09 विद्युत देय | 20,000 ( रुपये बीस हजार मात्र ) |
| *9* | 082 | 2070001040300 सतर्कता आयोग एंव | 11 लेखन सामग्री और | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रशासनिक न्यायाधिकरण | फार्मों की छपाई | |
| *10* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 6,00,000<br>( रुपये छह लाख मात्र ) |
| *11* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 2,50,000<br>( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *12* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| *13* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 38<br>अन्तरिम सहायता | 6,00,000<br>( रुपये छह लाख मात्र ) |
| *14* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 42<br>अन्य व्यय | 50,000<br>( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| *15* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 45<br>अवकाश यात्रा व्यय | 50,000<br>( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| *16* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| *17* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 49<br>चिकित्सा व्यय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| *18* | 082 | 2070001040300<br>सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण | 55<br>मकान किराया भत्ता | 18,28,000<br>( रुपये अठारह लाख अट्ठाईस हजार मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,84,73,000**<br>**( रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र )** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 3,84,73,000<br>( रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक - 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
(6) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।